विचार बिन्दु

''जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जो जीवन के बुरे दिनों में आपके साथ थे।'' - अरविन्द कटोच

क्या एसआईआर पर निर्णय लेना आयोग का विवेकाधिकार है?

क्या एसआईआर पर निर्णय लेना आयोग का विवेकाधिकार है?

दिनांक 13 सितम्बर, 2025 को चुनाव आयोग ने अपने शपथ-पत्र द्वारा जो उसने अश्विनी उपाध्याय सीनियर एडवोकेट के द्वारा प्रेषित एक पीआईएल में दिया है, जिसमें अश्विनी उपाध्याय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि चुनाव आयोग समयबद्ध तरीके से सभी राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (ैप्) करायें, क्योंकि कुछ राज्यों में बांग्लादेशी अवैध प्रवासी बड़ी संख्या में मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। इस पीआईएल पर विरोध प्रदर्शन करते हुये चुनाव आयोग ने अपने शपथ-पत्र में घोषणा की है कि निर्वाचन सूची की पवित्रता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने के संवैधानिक व वैधानिक उत्तरदायित्व को आयोग समझता है और वह मानता है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अथवा सामान्य पुनरीक्षण असेम्बली के जनरल चुनाव अथवा बाई चुनाव से पूर्व कराये और यह चुनाव आयोग का विवेकाधिकार है। शपथ-पत्र में यह भी स्पष्ट चुनाव आयोग का कथन है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बाबत दिया गया कोई भी निर्देश उसके अधिकार क्षेत्र में जो बिना किसी नियंत्रण के संविधान ने दिया उसमें हस्तक्षेप होगा।

चुनाव आयोग ने अपने शपथ-पत्र में सुप्रीम कोर्ट का ध्यान रूल 25 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, Registration fo Electors Rules 1960 सपठित धारा 21 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 आकर्षित किया है जिसमें चुनाव आयोग का दायित्व निर्धारित किया है कि वह मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कराये उसमें समयावधि का कोई प्रतिबंध नहीं है। जनरल इलेक्शन से पूर्व पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का विवेकाधिकार है।

चुनाव आयोग ने अपने शपथ-पत्र में यह भी कहा है कि विशेष पुनरीक्षण के कार्य में 1 जनवरी, 2026 को योग्यता तारीख माना जावेगा जिसका अर्थ है इस तारीख को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र पूरी की है उन नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जावेगा।

अपने गत अतिथि सम्पादकीय में लेखक ने स्पष्ट किया है कि दिनांक 10 सितम्बर, 2025 को अधिकारियों को बुलाई गई बैठक में निर्देश दिये हैं, उनके अनुसार कोई भी नागरिक मतदाता मतदसूची से बाहर न रह जावे और अपात्र इसमें शामिल न हों। आधार कार्ड को 11 अन्य दस्तावेजों के साथ शामिल किया जावे ये दस्तावेज निवास स्थान को प्रमाणित करते हैं, वे व्यक्ति की नागरिकता के प्रमाण नहीं है। यह भी निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासियों की जांच की जावे, उनसे शपथ-पत्र लिया जावे कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में हुआ था। विकल्प में उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 और दिसम्बर 2024 के मध्य हुआ है। उनसे अपने माता पिता के जन्म स्थान के दस्तावेज लिये जावें।

उक्त लेख में स्पष्ट किया है कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सफलता शुद्ध, त्रुटिहीन मतसूची पर निर्भर करता है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है और संविधान के अनुच्छेद 324 में सांसदों और विधायकों की संवैधानिक पदों पर निर्वाचन के लिये मतदाता सूची तैयार करने का और निर्वाचन के संचालन, अधीक्षण व निर्देशन और नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व दिया है। अनुच्छेद 326 में यह स्पष्ट किया है कि मतदान करने का अधिकार केवल नागरिक को दिया है जिन्हें वयस्क मताधिकार दिया है। संसद का चुनाव की प्रक्रिया के हेतु कानून बनाने का अधिकार दिया है और कानून को सुविधाजनक रूप से संचालित हो उसके हेतु नियम बनाने का प्रावधान है। संविधान के प्रावधान के अधीन ही संसद का कानून और रूल्स हैं। यह भी अनुच्छेद 329 में स्पष्ट है कि निर्वाचन सम्बन्धित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप भी वर्जित है।

देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सफलता शुद्ध, त्रुटिहीन मतसूची पर निर्भर करता है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है और संविधान के अनुच्छेद 324 में सांसदों और विधायकों की संवैधानिक पदों पर निर्वाचन के लिये मतदाता सूची तैयार करने का और निर्वाचन के संचालन, अधीक्षण व निर्देशन और नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व दिया है। अनुच्छेद 326 में यह स्पष्ट किया है कि मतदान करने का अधिकार केवल नागरिक को दिया है

चुनाव आयोग ने देश में मतसूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारम्भ किये जाने के आदेश भी जारी कर दिये हैं।

चुनाव आयोग (निर्वाचन आयोग) ने अपने शपथ-पत्र के तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि समयबद्ध एसआईआर कराने के निर्देशन की प्रार्थना चाही गई याचिका खारिज की जावे, क्योंकि नियमित अन्तराल पर पूरे देश में एसआईआर कराने का निर्देश देना, चुनाव आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा।

बिहार एसआईआर मामलों में ड्राफ्ट मतदाता सूची जा की जा चुकी है चुनाव आयोग ने अपने एडवोकेट के माध्यम से सूचित किया है कि 7.24 करोड़ मतदाताओं के नामों में से 99.6 वोटरों ने अपने नाम शामिल करने के फार्म भरकर दे दिये हैं, केवल विवाद 65 लाख तथाकथित मतदाताओं के नाम हैं वो भी तीन केटेगरी के हैं, मृतक, अवैध प्रवासी तथा वे हैं, जिनके नाम दो जगह हैं। यह भी विवाद सामने आया है कि लोगों ने मतदाता सूची में स्थान पाने के लिये जो आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि डोक्यूमेंट्स दिये हैं वे फर्जी हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को अश्विनी उपाध्याय की पिटीशन पर कडे.शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार एसआईआर की वैधता पर कोर्ट का जो निर्णय होगा वह Pan India Exercise

देशव्यापी एसआईआरद्ध पर भी लागू होगा; क्योंकि कोर्ट टुकड़ों में निर्णय नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट की इसी खण्डपीठ ने पूर्व में कई अन्तरिम आदेश दिये हैं जिनमें आधार कार्ड को अन्य 11 डोक्यूमेन्ट्स के साथ निवास के डोक्यूमेंन्ट के रूप में माने जाने का आदेश भी है, जो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, किन्तु मतदाता सूची में से नाम काटे जाने अथवा जोडने पर देखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट बिहार एसआईआर की वैधता पर दिनांक 7 अक्टूबर, 2025 को सुनेगी और अन्तिम निर्णय देगी। अश्विनी उपाध्याय ने माननीय खण्डपीठ से निवेदन किया कि देशव्यापी स्तर पर एसआईआर प्रक्रिया लागू होनी चाहिये तथा अवैध प्रवासियों के नाम जो देश के नागरिक नहीं हैं, उनके नाम काटे जाने चाहिये। अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट ने अत: कोर्ट से निवेदन किया कि माननीय खण्डपीठ अपने पूर्ववर्ती आदेश को जिसमें आधार कार्ड को भी नाम काटे जाने अथवा जोडने के मामले में विचार करने का उल्लेख था उसे संशोधित किया जावे, क्योंकि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस प्रार्थना-पत्र का नोटिस विपक्ष को दिये जाने का आदेश दिया गया है। अत: यह माना जाता है कि इस विषय पर बहस होगी।

-अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

भारत को आर्थिक व रणनीतिक छलांग के लिए एक ही मंत्र चाहिए-निजी क्षेत्र को शोध और नवाचार में खुली छूट

सुनील दत्त गोयल

आर एंड डी में निजी क्षेत्र को फ्री-हैंड: भारत की अगली छलांग का पासपोर्ट भारत को अपनी अगली आर्थिक और रणनीतिक छलांग के लिए एक ही मंत्र चाहिए-निजी क्षेत्र को शोध और नवाचार में खुली छूट और बड़े प्रोत्साहन। आज भारत का कुल निवेश जीडीपी के लगभग 0.5-0.7 के दायरे में अटका है, जबकिप्रमुख अर्थव्यवस्थाएं 3.5-4.5 तक पहुंच चुकी हैं। चीन न सिर्फअधिक निवेश करता है, बल्किकंपनियों को 125-150 तक के सुपर-डिडक्शन, लंपसम कैश बोनस और पेटेंट खर्चका रीइम्बर्समेंट जैसी उदार नीतियां देकर निवेश को गुणा देता है-अर्थात यदिकोई कंपनी 100 करोड में लगाती है तो कुल सरकारी सहायता का प्रभाव 250-300 करोडतक हो जाता है। भारत को भी यही करना होगा: लागत घटाइए, जोखिम बांटिए, और निजी पूंजी को नवाचार की दौडमें आगे बढाइए। भारत को सूचना-प्रौद्योगिकी, दूरसंचार-सर्विलांस/मॉनिटरिंग, रक्षा उत्पादन और मेडिकल-फार्मा पर तत्काल प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकियही क्षेत्र आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी संप्रभुता और रोजगार सृजन के सबसे मजबूत इंजन बन सकते हैं।

सूचना-प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) भारत ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को 20 स्तर पर परिभाषित और मान्यता दिलाई है, जिससे पहचान, भुगतान और डेटा-साझाकरण के माध्यम से समावेशी सेवा-प्रदायन का वैश्विक मानक स्थापित हुआ है । 20 टास्क फ़ोर्सकी अंतिम रिपोर्टबताती है कि आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और शासन-परिवर्तन का आधार बन चुका है और इसे वैश्विक दक्षिण तक बढ़ाने का रोडमैप स्पष्ट है ।

दूरसंचार और सर्विलांस- मॉनिटरिंग राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता के लिए स्पेस-आधारित सर्विलांस/रीकॉन और संचार अवसंरचना का तीव्र विस्तार आवश्यक है, जिसे आगामी 3 वर्षोंमें 100-150 अतिरिक्त उपठाह जोड़कर सुरक्षा और मॉनिटरिंग क्षमताओं को मजबूत करने की योजना से बल मिलेगा । वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप ऊर्जा व रक्षा (R&D) पर सरकारी समर्थन तेज़ी से बढ़रहा है, जो उन्नत दूरसंचार और स्पेस-आधारित मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी में नवाचार को गतिदेने का अवसर है ।

रक्षा और साइबर: नई लड़ाइयों की तैयारी भविष्य की लड़ाइयां स्टार-वॉर जैसी हाई-टेक वॉरफेयर होंगी-उपग्रहो, ड्रोन, AI , इलेक्ट्रॉनिक और साइबर डोमेनों में। यूक्रेन-रूस युद्ध ने दिखाया कि50,000 का ड्रोन 100 करोड़के टैंक को निष्क्रिय कर सकता है; शक्तिका समीकरण तकनीक से तय होगा। चीन की कक्षा में सैकड़ों निगरानी उपठाह सक्रिय हैं; भारत के पास निगरानी/रीकॉन क्षमता में विस्तार की भारी गुंजाइश है। यदिहमारी परमाणु पनडुब्बी परियोजना 2038 तक पूरी होगी, तो यह प्रश्न जरूरी है: तब तक तकनीक कहां पहुंच चुकी होगी? उत्तर साफ है-हमें समय-संवेदी, निजी भागीदारी-आधारित मॉडल अपनाना होगा, जहां डिजाइन से लेकर प्रोटोटाइपिंग तक निजी उद्योग और स्टार्टअप्स अहिम पंक्तिमें हों, और सरकार एंकर-ठाहक बने। साइबर सुरक्षा में भी निजी क्षेत्र को फ्री-हैंड, बड़े प्रोत्साहन और तेज़अनुमतियां देकर रेड-टीमिंग, जीरो-ट्रस्ट, क्रिप्टोग्राफी, और सुरक्षा-ठोड हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर में तेजी लानी होगी। अगला युद्ध भौतिक सीमाओं से पहले फाइबर और स्पेक्ट्रम में लड़ा जाएगा।

फार्माऔर मेडिकल R&D : लैब-ऑफ़-द-वर्ल्डकी ओर भारत सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री में वैश्विक ताकत है और अमेरिका सहित कई देशों को भारी मात्रा में निर्यात करता है। यह लाभ उठाने का समय है-किडनी, लिवर, ब्रेन, स्पाइन, मानसिक स्वास्थ्य, डायबिटीज, कैंसर, बोन मैरो, थैलेसीमिया जैसे क्षेत्रों में मिशन-मोड को बढ़ावा देकर क्लीनिकल-टेक, बायोसिमिलर्स, जीन-थेरेपी और मेडिकल-डिवाइस में वैश्विक लीड ली जा सकती है। जनरेशन, क्लिनिकल ट्रायल इकोसिस्टम, रेगुलेटरी फास्ट-ट्रैक और अस्पताल-उद्योग-अकादमिक गठजोड़से भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से लैब ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है।

AI-IT - और इंडस्ट्रियल R&D : प्रतिभा है, नीतिचाहिए , सेमीकंडक्टर उप-प्रणालियां, रोबोटिक्स, एडवांस्ड मटेरियल्स और ठीन-टेक में भारत के पास युवा प्रतिभा और परिसरों से निकलती डीप-टेक कंपनियों का पूल है। बाधा है-उच्च पूंजी लागत, जोखिम, धीमी अनुमतियां और अनिश्चित मांग। सरकार यदिएंकर-ठाहक बने, मानकीकरण और टेस्ट-बेड दे, और कर-प्रोत्साहन से लागत घटाए, तो निजी निवेश स्वत: बढ़ेगा। संक्षेप में, सरकार को दिशा और भरोसा देना है; पूंजी और क्रियान्वयन युवा कर देगा।

क्या करना होगा: एक साहसी प्रोत्साहन पैकेज सुपर-डिडक्शन और कैश सपोर्ट: निजी व्यय पर 150-200 सुपर-डिडक्शन; प्रोटोटाइप/-लक्ष्य प्राप्तिपर लंपसम कैश बोनस; पेटेंट फाइलिंग/प्रोसीक्यूशन/विदेशी फाइलिंग फीस का 100 तक रीइम्बर्समेंट (सीलिंग के साथ)।

मैचिंग ठाांट्स: 5-50 करोडतक मैचिंग-ग्रांट स्कीम, विशेषकर डीप-टेक/डिफेंस-टेक/बायो-टेक के लिए, जहां निजी पूंजी के साथ सरकार जोखिम साझा करे।

तेज़अनुमतियां: डिफेंस और साइबर के फील्ड-ट्रायल/इम्पोर्ट-लाइसेंस/एक्सपोर्ट के लिए 30-90 दिन की टाइम-लिमिटेड, सिंगल-विंडो क्लियरेंस।

एंकर-प्रोक्योरमेंट: जैसे मॉडलों का विस्तार; ट्रायल-टू-प्रोक्योर फ्रेमवर्कताकिसफल प्रोटोटाइप को तेज़ी से ऑर्डर मिलें; /स्टार्टअप को कोटा।

ाहमाशिंयालाइजेशन: सार्वजनिक लैब/ को स्टार्टअप्स हेतु रॉयल्टी-लाइट लाइसेंस; सॉवरेन पेटेंट फंड जो रणनीतिक पेटेंट खरीद/संरक्षण करे।

वाउचर और टैक्स क्रेडिट: को प्रयोगशालाएं/टेस्ट-बेड उपयोग हेतु वाउचर; 10 वर्षके लिए टैक्स-क्रेडिट की स्थिरता ताकिप्लांट और प्रतिभा पर दीर्घकालीन निवेश हो।

त्वरित अवमूल्यन और सपोर्ट: लैब उपकरण/क्लीन-रूम/टेस्ट-रिग पर 1-2 वर्षमें त्वरित अवमूल्यन; पूंजी-गहन डीप-टेक के लिए क्रेडिट गारंटी।

साइबर-टेक बूस्ट: राष्ट्रीय बग-बाउंटी/रेड-टीम कार्यक्रम; सरकार-उद्योग डेटा सैंडबॉक्स; सुरक्षा-ठोड ओपन-सोर्सके लिए अनुदान।

फार्मा-मिशन: रोग-विशेष मिशन (कैंसर, डायबिटीज, थैलेसीमिया, मानसिक स्वास्थ्य) के लिए स्तरित-ठाांट, तेज़नैतिक-स्वीकृतियां, और ग्लोबल ट्रायल नेटवर्कसे कनेक्टिविटी।

टैलेंट और इन्क्यूबेशन: एंटरप्रेन्योर-इन-रेज़िडेंस फैलोशिप, शहर-स्तरीय डीप-टेक क्लस्टर, और विश्वविद्यालय-उद्योग संयुक्त लैब्स जिनके परिणामों की खरीद का पूर्व-प्रतिबद्ध रोडमैप हो।

शासन-सुधार: नीतिकी विश्वसनीयता ही पूंजी है निवेश का सबसे बड़ा मित्र नीति-स्थिरता है। 10-वर्षीय स्पष्ट रोडमैप, कर-नीतिमें उलटफेर से बचाव, मानकीकरण/टेस्टिंग ढांचे का आधुनिकीकरण, और डेटा/गोपनीयता/निर्यात नियमों की स्पष्टता-ये सब निजी जोखिम घटाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या-सूचियां नियमित रूप से जारी हों ताकिस्टार्टअप्स सटीक समाधान विकसित करें। सबसे बढ़कर, सरकार अनुमोदक से सक्षमकर्ताबने-न्यूनतम फॉर्म, अधिकतम विश्वास, और परिणाम-आधारित जवाबदेही।

निष्कर्ष: नेतृत्व की नियतिऔर युवा की ऊर्जा भारत के उद्योगपतिऔर युवा इंजीनियर-साइंटिस्ट में वह क्षमता है जो वैश्विक मानचित्र बदल सकती है। उन्हें सिर्फअधिकार, भरोसा और प्रोत्साहन चाहिए। सरकार की पूंजी से अधिक मूल्यवान है सरकार का स्पष्ट संकेत: निजी क्षेत्र को पूर्णस्वतंत्रता, बड़े इंसेंटिव और तीव्र अनुमतियां मिलेंगी। यही समय है जब भारत लागत-प्रतिस्पर्धासे ज्ञान-प्रतिस्पर्धाकी ओर निर्णायक कदम बढ़ाए-वरना कल की लड़ाइयों में आज की हिचकिचाहट हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़कॉमर्सएंड इंडस्ट्री
पूर्वउपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जयपुर, राजस्थान,

टवेरा गाडी जवाई नदी के बहाव में फंसी

सायला, (निसं)। थानाक्षेत्र के बोरवाडा गांव में जवाई नदी में रपट के ऊपर से बहते पानी को पार करने के दौरान सवारियों से भरी एक टवेरा गाडी बहते पानी के बीच फंस गई। जिससे एक बार तो गाडी में सवार यात्रियों की सांसे अटक गई। गनीमत रही कि नदी का वेग सामान्य था। अन्यथा बडा हादसा हो सकता था।

जानकारी के अनुसार बोरवाडा में जवाई बांध के पानी की निकासी से जवाई नदी रपट के ऊपर से प्रवाहित हो रही है। जिससे आमजन व वाहनों की आवाजाही बंद है। लेकिन गुरुवार को रानीवाडा कांबा से टवेरा चालक छह यात्रियों को लेकर आ रहा था। जिन्हें बोरवाडा होकर आगे निकलना था। वाहनचालक को नदी के दूसरे छोर पर निवासरत किसानों व ग्रामीणों ने रपट के ऊपर होकर बहती नदी से गाडी निकालने को मना किया था।

शकुन्तला को मिली पशु बीमा पॉलिसी

ग्रमीण सेवा शिविर अभियान के पहले ही दिन शकुन्तला की दोनों भैंसों का मंगला पशु बीमा किया गया।

धौलपुर की बसेड़ी ग्राम पंचायत के झील गांव निवासी शकुन्तला देवी परिवार की अतिरिक्त आय के लिए भैंस पालती है क्योंकि वह और उसका पति पीतम सिंह अपनी छोटी सी जोत के कारण खेती पर निर्भर नहीं रह सकते। किसी भी पशु की मृत्यु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को परेशानी में डाल देती है लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की दूरगामी सोच से राज्यभर में 17 सितम्बर से संचालित ठामीण सेवा शिविर अभियान के पहले ही दिन शकुन्तला की दोनों भैंसों का मंगला पशु बीमा किया गया। झील के अटल सेवा केन्द्र में आयोजित शिविर से पहले ही पशुपालन विभाग के कार्मिक शकुन्तला समेत ठाम पंचायत के प्रत्येक घर पहुंचे तथा उन्होंने सूची बनाई कि किस परिवार को किस योजना का पात्र होने के बावजूद अभी तक लाभ नहीं मिला है। इस योजना में बीमित गाय, भैंस और ऊंट का 40 हजार रूपये तथा बकरी व भेड का 4 हजार रूपये का 1 वर्ष अवधि के लिए नि:शुल्क बीमा किया जाता है। शकुन्तला ने राज्य सरकार की इस योजना का नि:शुल्क लाभ मिलने पर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। शकुन्तला को कैंप में मंगला पशु बीमा योजना की पॉलिसी दी गई। इससे यह परिवार प्रसन्न है कि राजस्थान सरकार के इस कार्यक्रम के तहत इन्हें आर्थिक सुरक्षा कवच व गारंटी प्राप्त हुई है।

राजकुमार मीण, सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क

ताड़का वध के मंचन ने रोमांचित किया

पावटा। कस्बा पावटा स्थित रामलीला मैदान में आदर्श रामलीला मंडल पावटा द्वारा लीलाओं का मंचन किया जा रहा है। बुधवार को स्थानीय कलाकारो द्वारा ताड़का वध के दृश्यों को मंचित किया गया जिसे देख दर्शक रोमांचित हो उठे। जिसको देखने के लिए दर्शकों की काफी भीड़ रही। वही व्यास पीठ पर बैठे व्यास योगेश शर्मा द्वारा गाई गई चौपाइयो ने दृश्यों को और मार्मिक बना दिया। इससे पूर्व विश्वामित्र (रामशरण बोहरा) के यज्ञ को राक्षसों ने किस प्रकार भंग किया, उसके दृश्य मंचित किए गए। राक्षसों के आंतक से तंग होकर वे राजा दशरथ (महेश पारीक) की शरण में भगवान श्रीराम-लक्ष्मण (लक्की- शुभम) को लेने पहुंचे। विश्वामित्र ने जब राजा दशरथ को राक्षसों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान भंग करने का हाल सुना कर इनकी रक्षा के लिए राम व लक्ष्मण को भेजने का आग्रह किया।

जयपुर की फर्म को सेवा में त्रुटि का दोषी माना, खर्चा लौटाने सहित एक लाख दस हजार का जुर्माना

जालोर (कासं)। जालोर सहित राजस्थान के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर किसी ने भी गारंटी अवधि में ग्रीन हाउस या अपने कृषि कुएं पर कृषि उपकरण लगाए हैं और वो गारंटी अवधि में है, तो चिंता करने की जरुरत नहीं है। जिला उपभोक्ता न्यायालय की ओर रुख करने परिवादी पेश कर राहत प्राप्त कर सकते है। जिला उपभोक्ता आयोग जालोर के अध्यक्ष घनश्याम यादव ने एक किसान को गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त ग्रीन हाउस नहीं बदलने वाली होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी और सप्लायर्स फर्म राधा गोविंद को सेवा में त्रुटि का दोषी मानते हुए ग्रीन हाउस में लगाये गई राशि पांच लाख अडतीस हजार रुपये मय ब्याज अदा करने सहित एक लाख दस हजार का भारी जुर्माना ठोका है। परिवादी कांतिलाल पुत्र गलबाराम, जाति मेघवाल निवासी भागली सिंधलान ने अपने खातेदारी खेत में ग्रीन हाउस लगाने के लिए सहायक निदेशक, होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी जालोर को 23 नवम्बर 2017 को ऑनलाइन रसीद कटवा कर आवेदन किया था। इसके पश्चात होर्टीकल्चर व मैसर्स राधा गोविन्द ट्रेडर्स के प्रो. मदन मोहन यादव, जयपुर के साथ पांच सौ रुपये के स्टाम्प पर एक अनुबंध भी किया था। जिसके तहत अप्रार्थीगण ने परिवादी के खेत क्षेत्रफल 1.19 हैक्टर भूमि पर ग्रीन हाउस लगाने तथा ग्रीन हाउस का निर्माण एवं स्थापना करने से तीन वर्ष तक उसे ठीक करने अथवा बदलने की नि:शुल्क गारन्टी भी दी। परिवादी ने ग्रीन हाउस लगाने के लिए मैसर्स राधा गोविन्द ट्रेडर्स जरिए चेक एवं नकद कुल पांच लाख अडतीस हजार रुपये अदा किए थे। संपूर्ण राशि प्राप्त करने के बाद उन्होने परिवादी के खेत में ग्रीन हाउस लगाया, लेकिन कुछ समय तक सही ढंग से कार्य करने के बाद ग्रीन हाउस की नेट गुणवता वाली नहीं होने से ग्रीन हाउस की नेट पूरी तरह से फट गई, जो गारंटी अवधि के दौरान थी। परिवादी ने अप्रार्थीगण को कई बार शिकायत की, लेकिन गारंटी अवधि के बावजूद उसे नहीं बदला गया और ना ही ठीक किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष घनश्याम यादव और सदस्य निरंजन शर्मा ने पत्रावली पर आए तथ्यों और उनके जवाब का अवलोकन करने के पश्चात सहायक निदेशक, होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी जालोर और मैसर्स राधा गोविंद ट्रेडर्स के प्रो. मदन मोहन यादव को सेवा में त्रुटि का दोषी माना तथा परिवदी द्वारा ग्रीन हाउस के लिए चुकाई गई।

सेवा शिविर में व्यवस्थाएं पुख्ता रखें : धनकड़

पावटा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में सेवा पर्व पखवाड़े के तहत 17 सितंबर से शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का शुभारम्भ जिलेभर में किया गया। जहां दिनांक वार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनखड़ ने नगरपालिका पावटा प्रागपुरा व ग्राम पंचायत तुलसीपुरा व पांचूडाला में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शुरू हुए शहरी सेवा शिविर 2025 का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को शिविरों के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक आमजन को शिविरों से लाभान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए निर्देशित किया है।

शिविर में पालिका के अतिरिक्त चिकित्सा विभाग पावटा, सार्वजनिक निर्माण विभाग पावटा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पावटा, जेवीवीएनएल विभाग पावटा, आयोजना विभाग पावटा, आयुर्वेद विभाग पावटा, रसद विभाग पावटा, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक सुरक्षा न्याय एवं अधिकारिता विभाग पावटा सहित अन्य विभागों द्वारा आमजन की समस्याओं को सुन उनका समाधान किया गया। विधायक कुलदीप धनखड ने कहा कि सभी विभाग सक्रियता से भागीदारी निभाकर पंचायत एवं वार्डवार समस्याओं को चिन्हित करें, जिन व्यक्तियों को प्री कैम्पस में योजनाओं के लाभ के लिए चिन्हित किया गया है उन्हें सूचित कर मौके पर लाभान्वित कराए। उन्होंने कहा कि शिविर में आने वाला कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटे। विधायक धनखड ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चेक वितरण किया।

दो स्कूलों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस

कोटा, (निसं)। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को कोटा के शहरी क्षेत्र के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री गुरुवार को सुबह 8 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरजपोल पहुंचे। दिलावर ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पवित्रा त्रिपाठी के साथ स्कूल में चल रही कक्षाओं का निरीक्षण किया।

उन्होंने एक-एक कक्षा में जाकर बच्चों से बात की और क्लास में पढ़ा रहे शिक्षकों से मोबाइल मांगा। चार शिक्षकों के पास क्लास में मोबाइल मिला। जिसे मंत्री के निर्देश पर विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया। दिलावर ने

- **शिक्षा मंत्री के दौरें में कक्षा में मोबाइल पर बातें करते मिले शिक्षक**

स्कूल में सरकारी निर्देशों की अवहेलना करने पर वरिष्ठ अध्यापक सीमा यादव, अध्यापक लेवल-2 ललिता शर्मा, अध्यापक लेवल -1 तथा बेसिक कंप्यूटर अध्यापक रश्मि माथुर को कारण बताओं नोटिस देने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर स्कूल प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बृजराजपुर, चित्तौड़ा का नोहरा में शिक्षा मंत्री जब पहुंचे तो बच्चे इधर-उधर घूमते नजर आए। किसी भी कक्षा में अध्यापक नहीं थे। एक कक्ष में गणित के वरिष्ठ अध्यापक अजीत कुमार जैन मोबाईल पर बात करने में व्यस्त थे। शिक्षा मंत्री ने संबंधित शिक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय से शिक्षकों के गायब होने, विद्यार्थियों के उचित गणवेश में नहीं होने, अध्यापक कक्षाओं में नहीं होने तथा प्रधानाचार्य के कक्ष में बैठे होने, विलंब से स्कूल आने, स्कूल में अनुशासन नहीं होने, आदेशों के बावजूद भी विद्यालय किराए के भवन में चलने के कारण प्रिंसिपल बिंदु अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महावीर नगर थर्ड में शिक्षा मंत्री कक्षा में पहुंचे तो बच्चे बैठे थे और एलईडी स्क्रीन पर ऑनलाईन क्लास चल रही थी। लेकिन क्लास में कोई शिक्षक नहीं था। कक्षा बारहवीं में 4 बच्चे बैठे थे, लेकिन शिक्षक नहीं था। मंत्री ने पूछा किसका कालांश है। बच्चों ने बताया कि रिजवाना मैडम का है। इकोनॉमिक्स की क्लास है। मंत्री ने पूछा रिजवाना मैडम कहां है तो बताया कि वो स्कूल में परीक्षा केंद्र है उसकी तैयारी कर रही है। मंत्री को किसी भी कक्षा-कक्ष में शिक्षक क्लास लेते नहीं मिले। कई शिक्षक तो मंत्री को देख कर हाजरी रजिस्टर में अपनी-अपनी हाजरी दर्ज करने दौड़े।

स्कूल में ना तो मेगा पीटीएम आयोजित की गई और ना ही पौधारोपण हुआ। बच्चों की होमवर्क डायरी तथा टीचर्स डायरी भी शिक्षक दिखा नहीं पाए। शिक्षा मंत्री ने स्कूल में गंदगी सहित तमाम अव्यवस्थाओं के लिए प्रिंसिपल को नोटिस देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जहां कई स्कूलों में अव्यवस्थाएं मिली तो वही पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीपुरा की व्यवस्था को देखकर मंत्री दिलावर प्रसन्न हो गए।

राशिफल शुक्रवार 19 सितम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

आश्विन मास कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम सम्वत 2082, आश्लेषा नक्षत्र प्रात: 7.06 तक, सिद्ध योग रात्रि 8.41तक, गर करण दिन 11.36 तक, चन्द्रमा प्रात: 7.06 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति - सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरू मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में संचार करेगा।

आज भद्रा रात्रि 11.37 से आरम्भ होगी। आज त्रयोदशी ओर मघा का श्राद्ध, प्रदोष व्रत, मास शिवरात्रि, कलयुमादि तिथि है युगान्द 5.27 आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघडिया - चट-सूर्योदय से 7.48 तक, लाभ-अमृत 7.48 से 10.50 तक, शुभ 12.31 से 1.51 तक, चट 4.55 से सूर्यास्त तक

राहुकाल - 10.30 से 12.00 तक सूर्योदय 6.18 सूर्यास्त 6.23

मेष

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। आपसी ईर्ष्या वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बडेगा।

धनु

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्